


236

113

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रमाण क्रमांक R-816-II/13



C.F.
Rs 20/-

1-कामता प्रसाद विश्वकर्मा तनय स्व.श्री रामाधार विश्वकर्मा निवासी महदेवा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2-रामाधार विश्वकर्मा (फौत)..... निगराकारगण

बनाम

1-रामाश्रय बढई तनय रामसेवक बढई निवासी महदेवा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2-म.प्र.शासन द्वारा हत्का पटवारी बगहा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र..... गौरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय सतना के प्रकरण क्रं.141/अपी./12-13में पारित आदेश दिनांक-06.10.112

मान्यवर,

उपरोक्त प्रसंग में निगराकारगण द्वारा निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

संक्षिप्त तथ्य:-

निगराकारगणों द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर महोदय सतना के समक्ष अपील इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई थी कि श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय रघुराजनगर सतना के आदेश दिनांक 30.09.2011को आराजी खसरा नं. 166ब रकवा 0.21ए तथा आराजी नं.167 रकवा 0.20ए.में म. प्र.शासन के स्थान पर अपना रिकार्ड दुरुस्त कराये जाने हेतु धारा

कामता प्रसाद वि. 2

S.R. 2013

720
5-11-12

R-816-II/13

अधिकारियों एवं अधिकारियों
पारित दिनांक 5/11/12

5/11/12


17

20-2-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R.816-II/13 जिला- सतना

कामता प्रसाद विश्वकर्मा विरुद्ध रामाश्रय शर्मा

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>सतानन्द पाण्डे</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सतना</u> के प्रकरण क्रमांक <u>141/31/2012-13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>06.10.12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.03.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	